राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 166/2015 जयपुर

श्रीमती ममता सुकलेचा पत्नी श्री विनोद कुमार सुकलेचा
जाति जैन, निवासी मं.नं. 569, काशीनाथ जी की गली,
गोपाल जी का रास्ता चौकडी विश्वेश्वर जी, जयपुर ..... प्रार्थी

बनाम्

1– राजस्थान सरकार जरियेउप पंजीयक, षष्ठम, जयपुर
2– श्री प्रेम प्रकाश कुलथिया पत्र श्री बनवारी लाल कुलथिया
3– श्री दीपक कुमार कुलथिया पुत्र श्री बनवारी लाल कुलथिया
समस्त जाति सोनी, निवासी प्लॉट नं. 189,शिल्प कॉलोनी,
पंचायत समिति के पीछे झोटवाडा, जयपुर .....अप्रार्थी

एकलपीठ
राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित ::
श्री अजीत लोढा,
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अधिवक्ता, ...अप्रार्थीसंख्या 1की ओर से

दिनांक : 18.02..2015

निर्णय

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 65(2) राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 विरूद्ध कार्यवाही अन्तर्गत धारा 51 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम एवं उसकी अनुपालना में पारित आदेश दिनांक 22.12.2014 जो कि न्यायालय कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 336/2013 में पारित किया गया, प्रस्तुत की गयी है।

वकील निगरानीकर्ता श्री अजीत लोढा एवं उपराजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित।

प्रकरण में निगरानी ग्राह्यता एवं स्थगन पर बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील निगरानीकर्ता का यह कहना है कि जयपुर नगर चौकडी विश्वेश्वर जी, रास्ता गोपाल जी, अन्दरून गली काशीनाथ जी की पूर्वी लाईन में मकान नगरपालिका नम्बर 569 पश्चितमुखी स्थित है। इस मकान के मुख्य द्वारा व पैसेज से चलकर चौक के उत्तरी पश्चिमी कोने में जीना पूर्वमुखी से चढकर दूसरी मंजिल के दक्षिण पश्चिमी कोने का कमरा पूर्वमुखी है, इस कमरे का कुल क्षैत्रफल 628.57 वर्गफुट है। इस कमरे के पश्चिम की ओर झरोखा निकासू बना हुआ है। यह कमरा बिना नीचे ऊपर की मंजिल के अधिकारों के मौजूदा निगराकार ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय कर दिया। उनका

कहना है कि उक्त सम्पति के बाबत दिनांक 30.11.2012 को निगरानीकर्ता द्वारा विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित करने के बाद मौजूदा निगरानीकर्ता द्वारा उक्त विक्रय पत्र से प्राप्त राशि का ब्यौरा आयकर विभाग को दे दिया गया एवं वह उक्त संव्यवहार को उसकी ओर से पूर्ण माना गया। तदुपरान्त उप पंजीयक षष्ठम, जयपुर द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को नोटिस अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम भेजा गया एवं दस्तावेज का मूल्यांकन कम होने का आधार बताते हुये दस्तावेज का मनमखसूद तरीके से मूल्यांकन कर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध मांग राशि निकाल दी गयी एवं उक्त कार्यवाही के बाबत निगरानीकर्ता को कोई नोटिस व सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। उनका कहना है कि उप पंजीयक षष्ठम, जयपुर द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को नोटिस अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान मुद्रांक अधिनिमय का भेजा गया एवं सम्पति का मूल्यांकन बाजार मूल्य 28,96,321/–रू. माना गया जिस पर मुद्रांक कर 01,44,820/–रू. सरचार्ज 14,482/–रू. एवं बकाया मुद्रांक शुल्क 96,170/–रू. व बकाया पंजीयन शुल्क 18,970/–रू. सरचार्ज 09620/–रू. कुल 01,24,760/–रू.मांग भेजी गयी। प्रार्थी निगरानीकर्ता को उक्त कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गयी। उनका कहना है कि उप पंजीयक षष्ठम, जयपुर द्वारा एक रेफरेन्स कलक्टर मुद्रांक जयपुर के समक्ष भेजा गया एवं उप पंजीयक षष्ठम, जयपुर के मूल्यांकन को सही मानते हुये अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को कुल राशि रू. 01,24,760/– जमा कराने को कहा गया। उनका कहना है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा कलक्टर मुद्रांक के आक्षेपाधीन आदेश दिनांक 22,12,2014 से भयभीत होकर आरोपित की गयी राशि रू. 01,24,760/– जमा करा दी गयी। इसके बाद मौजूदा प्रार्थी निगरानीकर्ता को आयकर विभाग द्वारा अन्तर्गत धारा 133(सी) व धारा 272(ए)(2) के तहत् नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जिससे व्यथित होकर उन्होने यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

वकील निगरानीकर्ता का कहना है कि समस्त कार्यवाही उनके संज्ञान में लाये बिना हुई है जिसके कारण आयकर विभाग ने उनके विरूद्ध नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रारम्भ की है। इसलिये इस एकतरफा कार्यवाही को रोकने केलिये उन्होने यह निगरानी प्रस्तुत की है। उनका आग्रह है कि प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाय व न्यायालय कलक्टर मुद्रांक वृत, जयपुर द्वारा धारा 51 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के तहत की गयी समस्त कार्यवाही एवं उसकी अनुपालना स्थगित की जाय जिससे कि उनको आयकर विभाग से जारी नोटिस के विरूद्ध राहत मिल सके।

उपराजकीय अभिभाषक श्री जमील जई का कहना है कि इस प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकर्ता ने आक्षेपित आदेश से सम्बन्धित 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं करायी है। उनका यह भी कहना है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने आक्षेपित आदेश दिनांक 22.12.2014 की अनुपालना में समस्त राशि जमा करा कर आदेशों के पालना कर दी है। जब आक्षेपित आदेश की पूर्ण पालना हो चुकी है एवं आरोपित राशि भी पूर्णरूप से जमा करा दी गयी है तो ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है और इसे निरस्त किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों के आधार पर हम इस नतीजे पर पहूंचते हैं कि निगरानी प्रार्थना पत्र देने का मुख्य कारण आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस है। यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आदेश के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं। ऐसे में आक्षेपित आदेश को स्थगित कर उसकी कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि भी जमा नहीं करायी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष